न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया

जी0आर0न0– 2350/13

19/07/2019

काराधीन अभियुक्त 1. बिरजू सिंह की ओर से एक जमानत आवेदन पत्र दिया गया साथ नवीन वकालत नामा के साथ आवेदन पत्र दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई। आवेदन को संचालित किया गया, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे किंतु ये जीविकोंपार्जन हेतु अपने पैरवीकार को उचित पैरवी करने का निर्देश देकर दिल्ली चले गए। किंतु इनके पैरवीकार द्व ारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक– 09/07/2019 को बंध पत्र खंडित हो गया। आवेदक जब दिल्ली से आया तो दिनांक– 17/07/2019 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभीरक्षा में भेजा गया, अब आवेदक भविष्य में ऐसा गलती नहीं करेंगे तथा जमानत पर मुक्त किया जाए।

सुना सहायक अभियोजक पदाधिकारी को भी सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक– 17/07/2019 ये कारा अभीरक्षा में है, इन्हें अपनी गलती की उचित सजा मिल चुंकी है अतः आवेदक अभियुक्त को इस निर्देश के साथ कि वे वाद निष्पादन तक प्रत्येक तिथि को सःदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। मो0 5,000 (पांच हजार) के दो प्रतिभू का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त होने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दण्डा0

22/07/2019 दिनांक– 19/07/2019 के आदेशानुसार काराधीन अभियुक्त बिरजू सिंह की ओर से मांगे गए रकम का बंध पत्र साथ शपथ–पत्र दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर .... किया जाता है। कार्यालय लिपिक मुक्ति आदेश निर्गत करें।

लेखापित

अ0 मुख्य0 न्या0 दण्डा0